सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2017

म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2017

- एमएसएमई प्राथमिक क्षेत्र के बाद रोजगार का सबसे बड़ा सृजक है।
- राज्य में एमएसएमई की स्थापना तथा विकास हेतु एक सहायक और सक्रिय पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए बहु आयामी पहल की गई है।
- म. प्र. में लगभग 3 लाख पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम हैं
- राज्य सरकार मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंडअप इंडिया आदि के माध्यम से एमएसएमई के विकास हेतु प्रतिबद्ध है।
- इन्हीं प्रतिबद्धताओं के तहत राज्य सरकार ने म. प्र. की एमएसएमई को समर्पित नीति, **"म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2017"** को लागू किया है।

नीति का उद्देश्य

- रोजगार सृजन
- समावेशी विकास
- एक सक्रिय नीति एवं सकारात्मक वातावरण बनाना
- स्वरोजगार के लिए अवसर पैदा करना
- राज्य का समग्र औद्योगिक विकास

नीति की प्रभावशील अवधि एवं कार्यक्षेत्र

- दिनांक 1 अप्रेल, 2018 से सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में प्रभावशील
- 31 मार्च, 2018 के बाद वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाली विनिर्माण क्षेत्र की एमएसएमई इस नीति के तहत सहायता प्राप्त करने के लिये पात्र
- 1 अप्रेल, 2018 से पहले उत्पादन प्रारंभ करने वाली विनिर्माण क्षेत्र की एमएसएमई, उद्योग संवर्धन नीति 2014 या इससे पहले की नीतियों, जैसी भी स्थिति हो, के तहत सहायता प्राप्त करने के लिये पात्र
- "म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2017" की प्रभावशील अवधि में पॉवरलूम का उन्नयन करने पर पॉवरलूम इकाई, गुणवत्ता के प्रमाणन हेतु प्रमाण पत्र या पेंटेंट प्राप्त करने वाली इकाई और निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना करने वाली संस्था/ऐजेन्सी/निवेशक को भी सहायता का प्रावधान

विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन

MSME & ENTREPRENEURSHIP CONVENTION 2017
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एवं स्वरोजगार सम्मेलन
17 - 18 November 2017, Bhopal

- सूक्ष्म व लघु स्तर की विद्यमान औद्योगिक इकाई, जिनमें संयंत्र और मशीनरी में अपने विद्यमान निवेश का न्यूनतम 50% अतिरिक्त निवेश, जो रू. 25 लाख से कम नहीं हो, विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन पर किया गया है, उन्हें नई औद्योगिक इकाई के समकक्ष सहायता/सुविधाओं की पात्रता होगी
- मध्यम स्तर की विद्यमान औद्योगिक इकाई, जिनमें संयंत्र और मशीनरी में अपने विद्यमान निवेश का न्यूनतम 30% अतिरिक्त निवेश विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन पर किया गया है, उन्हें नई औद्योगिक इकाई के समकक्ष सहायता/सुविधाओं की पात्रता होगी।

संयंत्र और मशीनरी में किये गये निवेश

- मशीनों और उद्योग द्वारा औद्योगिक निर्माण प्रक्रिया को चलाने के लिए आवश्यक उपकरणों में किया गया निवेश, मशीनों के परिवहन पर हुआ व्यय, मशीनों पर जीएसटी व अन्य कर (भूमि, भवन, औद्योगिक सुरक्षा उपकरण, जनरेटर सेट, प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, अनुसंधान व विकास उपकरण, अतिरिक्त ट्रांसफार्मर, स्टोरेज टैंक, गोदाम और अग्निशमन उपकरणों में किये गये व्यय को छोड़कर)।
- उक्त निवेश इकाई की वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से अधिकतम तीन वर्ष पूर्व का मान्य

क्लस्टर विकास

- राज्य सरकार द्वारा समस्त राज्य में क्लस्टरों के विकास के लिए सहायता
- विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत उपलब्ध सहायता प्राप्त करने हेतु क्लस्टर विकास समन्वय समिति (CDCC) का गठन उद्योग आयुक्त की अध्यक्षता में प्रस्तावित
- एक समर्पित क्लस्टर विकास सैल का गठन प्रस्तावित

रियायतें

- जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों के माध्यम से रियायतों का प्रदाय
- रियायतें प्रदान करने हेतु म. प्र. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2017 जारी।
- औद्योगिक इकाई को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 अंतर्गत उद्योग आधार ज्ञापन फाइल करना और 'मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017' (जीएसटी अधिनियम) अंतर्गत पंजीयन कराना सहायता/सुविधा प्राप्त करने के लिये आवश्यक
- स्वरोजगार योजनाओं के तहत प्रोत्साहनों का लाभ करने वाली इकाई इस नीति के तहत सहायता/सुविधा प्राप्त करने हेतु अपात्र

रियायतों का प्रकार

- उद्योग विकास अनुदान
- अधोसंरचना विकास के लिए वित्तीय सहायता

  (अ) इकाई परिसर तक पानी, सड़क, और बिजली के अधोसंरचना विकास

  (ब) निजी औद्योगिक क्षेत्र एवं निजी बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास हेतु सहायता

  (स) अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों (जैसे ईटीपी, एसटीपी आदि) की स्थापना हेतु सहायता
- अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) में योगदान की प्रतिपूर्ति
- गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए प्रतिपूर्ति
- पेटेंट प्राप्त करने के लिए प्रतिपूर्ति
- पॉवरलूम उन्नयन हेतु सहायता

  (अ) पॉवरलूम का उन्नयन करने के लिए सहायता

  (ब) 150 हॉर्स पॉवर तक के पॉवरलूमों को रियायती दरों पर विद्युत प्रदाय

उद्योग विकास अनुदान

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम विनिर्माण उद्यमों को संयंत्र एवं मशीनरी में किये गये निवेश का 40% उद्योग विकास अनुदान के रूप में 5 समान वार्षिक किश्तों में प्रदान किया जाएगा।

- परंतु निम्नलिखित क्षेत्रों में स्थापित इकाइयों को इस अनुदान की पात्रता नहीं होगी -

(i) नगर निगम की अधिसूचित सीमा।
(ii) नगर/शहर, जिनकी आबादी 4 लाख या अधिक हो (वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर)।

उक्त (i) एवं (ii) में उल्लेखित क्षेत्रों में राज्य शासन अथवा उसके उपक्रम द्वारा औद्योगिक प्रयोजन हेतु आवंटित की गई शासकीय भूमि में स्थापित इकाईयों को योजनांतर्गत अनुदान की पात्रता होगी।

अधोसंरचना विकास के लिए वित्तीय सहायता

- इकाई परिसर तक अधोसंरचना विकास हेतु सहायता

  यदि निवेशक मध्यम श्रेणी के विनिर्माण उद्यम की स्थापना हेतु निजी भूमि क्रय करता है या अविकसित शासकीय भूमि शासन से प्राप्त करता है तो ऐसी इकाइयों को राज्य शासन द्वारा इकाई परिसर तक पानी, सड़क, और बिजली के अधोसंरचना विकास में किये गये व्यय का 50% वित्तीय सहायता, अधिकतम रुपये 25 लाख राज्य शासन द्वारा प्रदान की जाएगी।

- अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों हेतु सहायता

  औद्योगिक इकाईयों को अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों (जैसे ईटीपी, एसटीपी आदि) की स्थापना में निवेश के लिए 50 प्रतिशत पूंजी अनुदान अधिकतम 25 लाख रुपए

अधोसंरचना विकास के लिए वित्तीय सहायता

- निजी औद्योगिक क्षेत्रों तथा बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास हेतु सहायता

1. स्थापना/विकास में व्यय हुई राशि का 20 प्रतिशत अधिकतम रू. 2 करोड़
2. विकसित औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्रफल कम से कम 5 एकड़ या बहुमंजिला औद्योगिक परिसर का कारपेट क्षेत्र कम से कम 10000 वर्ग फीट होना आवश्यक
3. विकसित औद्योगिक क्षेत्र/ बहुमंजिला औद्योगिक परिसर में कम से कम पांच औद्योगिक इकाईयां कार्यरत हों।
4. संस्था/ऐजेन्सी/निवेशक द्वारा औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास की पूर्व अनुमति उद्योग आयुक्त से प्राप्त करना आवश्यक

अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) में योगदान की प्रतिपूर्ति

- नई औद्योगिक इकाइयों, जिनमें 10 से अधिक नियमित कर्मचारियों के सीपीएफ में प्रति कर्मचारी अधिकतम 1000 रूपये नियोक्ता के अंश के रूप में जमा किये जा रहें हों, तो ऐसे सभी कर्मचारियों के नियोक्ता के अंश की शत प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति 5 वर्ष की अवधि के लिये या अधिकतम रू. 5 लाख (इनमें से जो भी कम हो)
- प्रतिपूर्ति छ:माही आधार पर

गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए प्रतिपूर्ति

- गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु किए गए व्यय का 50%, अधिकतम रू. 3 लाख की प्रतिपूर्ति
- इकाई एक से अधिक गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र, किन्तु प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा, प्रत्येक इकाई के लिए रू. 3 लाख
- केवल आईएसओ/जीएमपी/सीजीएमपी प्रमाणीकरण मान्य

पेटेंट/आईपीआर के लिए प्रतिपूर्ति

- राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय नियम/कानून के अन्तर्गत शोध एवं अनुसंधान के आधार पर विकसित किये गये उत्पादों/उत्पादन प्रक्रियाओं का पेटेंट/आईपीआर कराने पर हुए व्यय का शतप्रतिशत, अधिकतम राशि रू. 5 लाख की प्रतिपूर्ति
- इकाई एक से अधिक पेटेंट हेतु किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन कर सकेगी, किन्तु प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा, प्रत्येक इकाई के लिए रू. 5 लाख
- उत्पाद/प्रक्रिया, जिसका पेटेंट कराया गया है, का वाणिज्यिक उत्पादन/प्रक्रिया का उपयोग इकाई द्वारा किया जाना आवश्यक

पॉवरलूम हेतु सहायता

- भारत सरकार की INSITU अपग्रेडेशन योजना के तहत पॉवरलूम का उन्नयन करने के लिए किये गये व्यय में से, भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता के समायोजन के पश्चात, शेष राशि का शत-प्रतिशत या उन्नयन लागत का 25%, जो भी कम हो, अधिकतम 8 पॉवरलूम प्रति इकाई सहायता का प्रावधान
- रियायती दर पर विद्युत का प्राप्त कर रही पॉवरलूमों की शक्ति की सीमा 25 हॉर्सपॉवर से बढ़ाकर 150 हॉर्सपॉवर

जिला स्तरीय सहायता समिति

- नीति अंतर्गत सहायता स्वीकृत करने हेतु समिति निम्नानुसार है :-

i.	कलेक्टर	अध्यक्ष
ii.	अग्रणी जिला प्रबंधक (LDM)	सदस्य
iii.	महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	सदस्य सचिव

- समिति की बैठक माह में कम से कम एक बार होगी
- इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 90 दिवस के भीतर आवेदन करना होगा
- जिला स्तरीय सहायता समिति समुचित कारणों से आवेदन प्रस्तुत करने में किये गये विलम्ब को शिथिल कर सकेगी।

अपील

- जिला स्तरीय सहायता समिति के निर्णय के विरूद्ध प्रथम अपील उद्योग आयुक्त के समक्ष निर्णय प्राप्ति दिनांक से 90 दिवस के भीतर की जा सकेगी। विलंब से प्राप्त अपील के विलंब दोष को उद्योग आयुक्त गुण-दोष के आधार पर शिथिल कर सकेंगे।
- उद्योग आयुक्त के निर्णय के विरूद्ध द्वितीय अपील प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के समक्ष निर्णय प्राप्ति दिनांक से 30 दिवस के भीतर की जा सकेगी। विलंब से प्राप्त अपील के विलंब दोष को प्रमुख सचिव गुण-दोष के आधार पर शिथिल कर सकेंगे।

प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने की सामान्य प्रक्रिया

- वित्तीय सहायता हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन समय सीमा में संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत किया जाएगा
- योजना व आवेदन विभागीय वेबसाईट mpmsme.gov.in पर उपलब्ध है।
- समिति से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त म. प्र. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2017 अंतर्गत देय वित्तीय सहायता का प्रदाय ई-पेमेंट के माध्यम से महाप्रबंधक द्वारा किया जायेगा

विविध

- जिस पूंजी निवेश के आधार पर सहायता स्वीकृत की जायेगी, उसको वाणिज्यिक उत्पादन/प्रारंभ होने की दिनांक से 5 वर्षों तक अच्छी स्थिति में रखना अनिवार्य होगा और इकाई की उत्पादन क्षमता बनाए रखनी होगी।
- इकाई/निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर के वणिाज्यिक उत्पादन/प्रारंभ/ स्थापित होने की दिनांक से 5 वर्षों तक उत्पादनरत/कार्यरत/स्थापित रखा जाना अनिवार्य होगा

धन्यवाद